न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 24 / 2023(पुरानी–01 / 2011) GCMS No.- 80/2023
प्रविष्टि दिनांकः– 18.10.2023(पुरानी–12.01.2011)
निर्णय दिनांक :– 20.08.2024

::–उनवान–::

1. भंवरलाल पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी मान्दोलाई तहसील टोडरायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान।
–अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंगा पि0मु0 लादी
2. सरजू पुत्री लादी
3. गुलाब पुत्री लादी
   समस्त जाति बागरिया निवासी मान्दोलाई तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी।
4. तहसीलदार, टोडारायसिंह तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी।

–रेस्पोडेण्ट

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970

उपस्थिति :

(1) श्री सांवरलाल चौधरी अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री हरिराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

::–निर्णय–:: दिनांक 20.08.2024

1. प्रार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र अ० नियम 14(4) राज0 भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम,1970 पेश प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर– 254 / 4 रकबा 5:00 बीघा वाके ग्राम मान्दोलाई तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी में स्थित है, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 520 / 2979 रकबा 1:2600है0 बने है। उक्त आराजी का अलाटमेन्ट देवा पुत्र नरूका जाति बागरिया निवासी मान्दोलाई तहसील टोडारायसिंह को दिनांक 12.11.1975 को अलाटमेन्ट कमेटी द्वारा गलत रूप से पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के व गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन कर दी गई। देवा की मृत्यू हो चुकी है देवा के मरने के बाद यह आराजी उसके पत्नि लादी के नाम दर्ज कर दी गई व लादी की मृत्यू के बाद यह जमीन वर्तमान में अप्रार्थी नं० 1 लगायत 3 जो मृतका लादी के वारिसान है के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

उक्त आराजी को देवा ने कभी काश्त नही किया न लादी ने काश्त किया एवं न ही वर्तमान में यह जमीन अप्रार्थी नं० 1 ता 3 ने कभी काश्त की इस जमीन पर कभी इनका कब्जा नहीं रहा न जमीन काश्त हुई न जमीन को फाहा जोता है। क्योंकि इस पर होकर आम रास्ता सार्वजनिक है तथा जिससे होकर आमजन आते जाते है गाडी,तांगा,हल,कुली,ट्रेक्टर वगैरहा आवागमन के साधन लाते ले जाते है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता आने जाने का नही है तथा इस जमीन में राज्य सरकार द्वारा निर्मित बारानी चेतना केन्द्र जलग्रहण विभाग के द्वारा राज्य सरकार की तरफ ते निर्मित कराया हुआ है तथा हैण्डपम्प राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ है जिससे आम जनता पानी का उपयोग उपभोग करती है तथा हनुमानजी का स्थान मंदिर बना हुआ है एवं इसी जमीन पर एक सार्वजनिक नाडी बनी हुई है व अन्य लोगो ग्राम जनता के बाड़े वगैरहा बने हुये है। इस प्रकार यह जमीन कभी काश्त के काम में नहीं आई एवं इसी जमीन में गै0मु0नाला बना हुआ है। इस प्रकार यह जमीन कभी काश्त नहीं हुई न काश्त काबिल रही न तो देवा ने न उसकी बेवा लादी और ने नहीं लादी के वारिसान ने इस जमीन को कभी काश्त किया। न इनका कभी कब्जा रहा। न देवा को सुपुर्द की गई। सारी कार्यवाही गलत व गैरकानूनी तौर पर की गई है तथा बाद में गलत कार्यवाही कर जमीन खातेदारी में भी लगा ली गई, जबकि खातेदारी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। जब जमीन पर कब्जा ही नहीं था व जमीन सार्वजनिक तौर पर शुरू से काम में आ रही है तो ऐसी सूरत में खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना भी गलत व गैरकानूनी है अतः यह अलाटमेन्ट निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार उक्त तथ्यो को मध्य नजर रखते हुये उक्त आवंटन दिनांक 12.11.1975 को जो किया गया है निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1975 ग्राम मान्दोलाई तहसील टोडारायसिंह जो आराजी खसरा नम्बर 254 / 4 रकबा 5:00 बीघा ग्राम मान्दोवाई तहसील टोडारायसिंह का जिसके वर्तमान ख0 नं0 520 / 2979 रकबा 1:2600 है0 ग्राम मान्दोलाई तहसील टोडारायसिंह का मृतक देवा पुत्र नरूका जाति बागरिया निवासी मान्दोलाई तहसील टोडारायसिंह को किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।

2. **अप्रार्थी द्वारा अपील** ***अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970*** **प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि** उक्त आराजी का अलॉटमेन्ट देवा पुत्र नरूका जाति बागरिया निवासी– मान्दोलाई को दिनांक 12.11.1975 को अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा किया गया था। अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा विधिपूर्ण ढंग से नियमानुसार पटवारी हल्का की रिर्पोट पर पूर्णतया सही तथ्यों के आधार पर आराजी अलॉटमेन्ट की गयी थी। अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा पटवारी हल्का की गलत रिर्पोट पर व गलत तथ्यों के आधार पर उक्त अलॉटमेन्ट करने के कथन पूर्णतया गलत, बनावटी व मनगढंत होने से पूर्णतया अप्रार्थीगण को अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 के कथन पूर्णतया गलत, बनावटी व मनगढन्त होने से अप्रार्थीगण को ठोस रूप से अस्वीकार है। उक्त आराजी पर देवा ही काश्त करता चला आ रहा था उसके पश्चात उसकी पत्नी लादी ने काश्त किया व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा था। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को हड़पने की नियत से यह झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी व उसके पूर्वज ही उक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे थे व पटवारी हल्का रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि का कब्जा अप्रार्थी के पूर्वज देवा जी को संभला दिया था तब तब से ही निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी पर कभी भी कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं रहा है और पूर्णरूप से उक्त आराजी अलॉटमेन्ट दिनांक 12.11.1975 से ही निरन्तर रूप से काश्त

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण को नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे तथा उन्हे समस्त प्रकार के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

प्रार्थी द्वारा लम्बे अन्तराल के बाद लगभग 35 वर्षों बाद यह प्रार्थना पत्र पेश किया है इतने लम्बे अन्तराल के बीच अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान हो चुके हैं तथा इतने लम्बे अन्तराल बाद अलॉटमेन्ट निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है।

अप्रार्थीगण के पूर्वज देवा पुत्र नरूका के नाम उक्त अलॉटमेन्ट दिनांक 12.11.1975 को आवंटन समिति द्वारा नियमानुसार किया गया था उसके पश्चात उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदत किये गये व देवा की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी लादी के नाम व उसकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण के नाम उक्त आराजी नियमानुसार एवं विधिपूर्ण ढंग से निरन्तर कब्जे काश्त के आधार पर दर्ज की गई थी तथा अप्रार्थीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हैरान–परेशान कर येन–केन प्रकार से उक्त आराजी को हड़प करने की नियत से पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा उक्त जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

3. अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र **न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, टोंक** के समक्ष प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार के आदेश से नवगठित जिला केकड़ी में गठन उपरान्त यह पत्रावली **स्थानान्तरित होकर** प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर अधिवक्ता सांवरलाल चौधरी व रेस्पो0 की ओर से अधिवक्ता हरिराम चौधरी ने वकालतनामा पेश किया।

4. **पत्रावली में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी।**

5. **अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में अपील के कथनों को दोहराते हुये** निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर–254/4 रकबा 5:00 बीघा वाके ग्राम मान्दोलाई तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी में स्थित है, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 520/2979 रकबा 1.26 है0 बने है। उक्त आराजी का अलाटमेन्ट देवा पुत्र नरूका जाति बागरिया निवासी मान्दोलाई तहसील टोडारायसिंह को दिनांक 12.11.1975 को अलाटमेन्ट कमेटी द्वारा गलत रूप से पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट व गलत तथ्यों के आधार पर किया गया है। देवा की मृत्यू हो चुकी है देवा के मरने के बाद यह आराजी उसकी पत्नि लादी के नाम दर्ज कर दी गई व लादी की मृत्यू के बाद यह जमीन वर्तमान में अप्रार्थी नं० 1 लगायत 3 जो मृतका लादी के वारिसान है के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि उक्त आराजी को देवा ने कभी काश्त नही किया न लादी ने काश्त किया एवं न ही वर्तमान में यह जमीन अप्रार्थी नं० 1 ता 3 ने कभी काश्त की है। इस जमीन पर कभी इनका कब्जा नहीं रहा है और न ही जमीन काश्त की है। क्योंकि इस पर आम रास्ता

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

है,जिससे होकर आमजन आते जाते है, गाडी,तांगा,हल,कुली,ट्रेक्टर वगैरहा आवागमन के साधन लाते ले जाते है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता आने जाने का नही है तथा इस जमीन में राज्य सरकार द्वारा निर्मित बारानी चेतना केन्द्र जलग्रहण विभाग के द्वारा राज्य सरकार की तरफ ते निर्मित कराया हुआ है तथा हैण्डपम्प राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ है, जिससे आम जनता पानी का उपयोग उपभोग करती है तथा हनुमानजी का स्थान मंदिर बना हुआ है एवं इसी जमीन पर एक सार्वजनिक नाडी बनी हुई है व अन्य लोगो ग्राम जनता के बाड़े वगैरह बने हुये है। इस प्रकार यह जमीन कभी काश्त के काम में नहीं आई एवं इसी जमीन में गै0मु0नाला बना हुआ है। यह जमीन कभी काश्त नहीं हुई न काश्त काबिल रही न तो देवा ने न उसकी बेवा लादी और ने नहीं लादी के वारिसान ने इस जमीन को कभी काश्त किया। न इनका कभी कब्जा रहा। न देवा को सुपुर्द की गई। सारी कार्यवाही गलत व गैरकानूनी तौर पर की गई है तथा बाद में गलत कार्यवाही कर जमीन खातेदारी में भी लगा दी गई।जब जमीन पर कब्जा ही नहीं था व जमीन सार्वजनिक तौर पर शुरू से काम में आ रही है तो ऐसी सूरत में खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना भी गलत व गैरकानूनी है अतः यह अलाटमेन्ट निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार उक्त तथ्यो को मध्य नजर रखते हुये उक्त आवंटन दिनांक 12.11.1975 को जो किया गया है निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1975 ग्राम मान्दोलाई तहसील टोडारायसिंह जो आराजी खसरा नम्बर 254 / 4 रकबा 5:00 बीघा ग्राम मान्दोवाई तहसील टोडारायसिंह का जिसके वर्तमान ख0 नं0 520 / 2979 रकबा 1.26 है0 ग्राम मान्दोलाई तहसील टोडारायसिंह का मृतक देवा पुत्र नरूका जाति बागरिया निवासी मान्दोलाई तहसील टोडारायसिंह को किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।

6. **रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस पेश करते हुयें** निवेदन किया कि उक्त आराजी का अलॉटमेन्ट देवा पुत्र नरूका जाति बागरिया निवासी– मान्दोलाई को दिनांक 12.11.1975 को अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा किया गया था। अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा विधिपूर्ण ढंग से नियमानुसार पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर पूर्णतया सही तथ्यों के आधार पर आराजी अलॉटमेन्ट की गयी थी। अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर व गलत तथ्यों के आधार पर उक्त अलॉटमेन्ट करने के कथन पूर्णतया गलत, बनावटी व मनगढंत होने से पूर्णतया अस्वीकार है। उक्त आराजी पर देवा ही कब्जा काश्त करता चला आ रहा था, उसके पश्चात उसकी पत्नी लादी ने काश्त किया व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा था। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को हड़पने की नियत से यह झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी व उसके पूर्वज ही उक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे थे व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि का कब्जा अप्रार्थी के पूर्वज देवा जी को संभला दिया था, तब से ही निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी पर कभी भी कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं रहा है और पूर्णरूप से उक्त आराजी अलॉटमेन्ट दिनांक 12.11.1975 से ही निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण को नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे तथा उन्हे समस्त प्रकार के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

अपीलाण्ट द्वारा लम्बे अन्तराल के बाद लगभग 35 वर्षों बाद यह प्रार्थना पत्र पेश किया है इतने लम्बे अन्तराल के बीच अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान हो चुके हैं तथा इतने लम्बे अन्तराल बाद अलॉटमेन्ट निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पूर्वज देवा पुत्र नरूका के नाम उक्त अलॉटमेन्ट दिनांक 12.11.1975 को आवंटन समिति द्वारा नियमानुसार किया गया है, उसके पश्चात उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदत किये गये व देवा की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी लादी के नाम व उसकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण के नाम उक्त आराजी नियमानुसार एवं विधिपूर्ण ढंग से निरन्तर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी दर्ज की गई है। अप्रार्थीगण ही इस पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हैरान–परेशान कर येन–केन प्रकार से उक्त आराजी को हड़प करने की नीयत से पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

7. ***हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।***

8. *पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड / दस्तावेज का अवलोकन किया। आवंटन पत्रावली सं0 481 / 1975 से जाहिर आया कि देवा पुत्र नरूका बागरिया निवासी मान्दोलाई को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ख0 नं0 254 / 4 रकबा 5.00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। आवंटित भूमि की वक्त आवंटन किस्म–बारानी–प्रथम रही है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार आवंटित भूमि के हाल नं0 520 / 2979 रकबा 1.26 है0 बने है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान में आवंटी देवा के वारिसान् के नाम खातेदारी दर्ज है। भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अनुसार यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के आधार पर अथवा नियमों के विरूद्ध या आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नही की हो उसी आधार पर आवंटन खारिज किया जाने का प्रावधान है। आवंटन पत्रावली के अवलोकन व अध्ययन से अप्रार्थीगण के पूर्वज देवा पुत्र नरूका को जो आवंटन किया गया है वह कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के आधार पर अथवा नियमों के विरूद्ध किया जाना नही पाया गया है। अपीलाण्ट द्वारा आवंटन के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य / दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिसमें यह साबित होता हो कि आवंटी देवा द्वारा छल–कपट पूर्वक आवंटन कराया हो।*

9. *अपीलाण्ट द्वारा जिस भूमि के आवंटन को निरस्त कराने बाबत् यह अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह सन 1975 का आवंटन है। इसने लम्बे समय बाद अपीलार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का क्या औचित्य है, जबकि इसी दौरान आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये। अपीलार्थी द्वारा अपनी प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि आवंटित / वादग्रस्त भूमि में बारानी चेतना केन्द्र जलसंग्रहण विभाग, हैण्डपम्प, मंदिर निर्मित है लेकिन उपरोक्त संरचनाएं कब निर्मित हुई व आवंटन से पूर्व या आवंटन के बाद निर्मित हुई है तथा क्या इसी आवंटित भूमि में निर्मित है। इस बाबत् अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य / दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आवंटित भूमि में सार्वजनिक रास्ता व नाडी होने का*

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

कथन किया है जबकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व रिकॉर्ड के अनुसार आवंटित भूमि की किस्म वक्त आवंटन बारानी–प्रथम रही है। उसमें किसी प्रकार रास्ता व नाडी किस्म अंकित नही है। आवंटित भूमि की किस्म बारानी प्रथम है जो कि आवंटन योग्य भूमि है। यदि आवटी के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन से प्रार्थीगण को कोई एतराज था तो वरवक्त आवंटन आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उन्हें आपत्ति दर्ज करवाई जानी चाहिये थी। कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को ही निरस्त करवाया जा सकता है जो तथ्यों को छिपाकर छल कपटपूर्वक करवाया गया हो। अप्रार्थी के पक्ष में किये गये वादग्रस्त भूमि के आवंटन में इस प्रकार के कोई तथ्य प्रकट नहीं हुए है जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी द्वारा Misrepresentation के आधार पर वादग्रस्त भूमि का आवंटन करवाया। अतः अपीलार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

–:आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल नम्बर 481/1975 के द्वारा दिनांक 12.11.1975 को मान्दोलाई के आराजी नम्बर 254/4 रकबा 5.00 बीघा हाल नं0 520/2979 रकबा 1.26 है0 देवा पुत्र नरूका को किया गया भूमि आवंटन आदेश को यथावत रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी